

बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

Bihar State Tourism Development Corporation Ltd.

Register office: वीरचन्द्र पटेल पथ / Beerchand Patel Path, पटना / Patna- 800 001

दूरभाष / Phone : - +91-612-2222622 फैक्स नं० / Fax No: - 0612-2506218

CIN: U63040BR1980SGC001486, web: www.bstdc.bihar.gov.in E-mail: contactbstdc@gmail.com



सं0सं-202 / 17 / टी०टी० / 457 / 22

दिनांक-04.03.2022

अल्पकालीन सूचना

बिहार दिवस समारोह के अंतर्गत गाँधी मैदान, पटना में बिहार दिवस के आयोजन अवधि व्यंजन मेला 2022 के आयोजन हेतु अनुभवी प्रतिष्ठित केटरर/संस्था/उद्यमी से प्रस्ताव का आमंत्रण।

दिनांक 22 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक गाँधी मैदान, पटना में व्यंजन मेला 2022 का आयोजन किया जाना है। स्टॉल का सम्भावित आकार 15 फीट x 10 फीट है। साईट कन्डीसन के अनुसार स्टॉल के आकार में परिवर्तन हो सकता है। इच्छुक लघु प्रतिष्ठित केटरर/संस्था बिहार एवं अन्य प्रदेशों के सुप्रसिद्ध व्यंजन का निर्माण एवं उनका बिक्री करने के लिये निःशुल्क आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

अर्नेस्ट मनी
5000/-
(पाँच हजार रुपये)
प्रति स्टॉल
आवेदन—पत्र का
शुल्क
500/-
(पाँच सौ रुपये)

नियमावली होटल कौटिल्य विहार, पटना से किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में रु०-500/- भुगतान कर दिनांक-14.03.2022 के अपराह्न- 04:00 बजे तक फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक दूकान के लिए अलग—अलग प्रस्ताव दिया जाना है। नियमावली निगम के वेबसाईट <http://bstdc.bihar.gov.in/> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन निर्धारित आवेदन का शुल्क नगद एवं अर्नेस्ट मनी बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, भुगतेय स्थल, पटना हो के नाम से निर्माण कर दिनांक-16.03.2022, समय-12:00 Noon बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है। विशेष जानकारी हेतु श्री सुमन कुमार, प्रबंधक ट्रैवल एण्ड ट्रेड, मो०-8544418314 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।

ह०/-
अतिरिक्त महाप्रबंधक
बिहार स्टेट टूरिज्म
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
पटना

नियमावली

आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :

आवेदन निर्धारित प्रपत्र (इस नियमावली के साथ संलग्न) में भरकर मुहरबन्द लिफाफे में दिया जाना है। जिस कार्य के लिये ऑफर दिया जा रहा है, उसका नाम स्पष्ट रूप से लिफाफा पर अंकित रहना चाहिए। आवेदक संबंधित स्थल का निरीक्षण के पश्चात् अपना ऑफर निर्धारित तिथि के अन्दर दे सकते हैं। अर्नेस्ट मनी की राशि बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर भुगतेय बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के नाम से देय होगा। प्रत्येक दुकान को फ्लैक्स, साईनबोर्ड से सजाने, संबंधित पकवान का चित्र एवं उनके दर तालिका को लगाने का कार्य निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में “बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन” व्यंजन मेला 2022 एवं उनके थीम को प्रमुखता के साथ लिखा जायेगा। सफल आवेदक द्वारा रु0 5,000/- (पाँच हजार रुपये) जमानत राशि के तौर पर जमा करना होगा जो व्यंजन मेला के समापन के उपरांत बिना किसी ब्याज के कंडिका संख्या-19 के अनुसार वापस कर दिया जायेगा। अग्रधन की राशि का समायोजन सुरक्षित राशि में किया जायेगा।

1. (क) गाँधी मैदान, पटना में आयोजित होनेवाले बिहार स्थापना दिवस के अंतर्गत बिहार व्यंजन मेला 2022 का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो गाँधी मैदान, पटना में दिनांक 22.03.2022 से 24.03.2022 तक व्यंजन मेला आयोजित होगा।
(ख) उक्त अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों के आने की संभावना है, अतएव कोविड-19 माहमारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाइन का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। खाने-पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा निर्धारित माप दंड यथा फुड लाईसेंस/FSSAI के निर्धारित मापदंड का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उच्च गुणवत्ता के खाद्य-सामग्री, विपणन बिल्कुल साफ-सुधरे एवं हाईजेनिक कंडीशन में हो, की जायेगी। खाद्य-सामग्री सर्व करने वाले व्यक्ति कोविड-19 का गाईडलाईन पालन करते हुए खाद्य सामग्री आपूर्ति एवं सर्व करने के समय फेस मास्क हाथ में उच्च गुणवत्ता के ग्लब्स तथा इसके निर्माण में लगे कुक/सेफ, कैप, एपरन एवं साफ वर्दी पहने होंगे। खाद्य संबंधी सभी सामग्री को निश्चित रूप से ढक्कर रखा जाना है ताकि मच्छर, मक्खी, कीट, इत्यादि इसे दूषित नहीं कर सके।
2. चयनित आवेदकों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित किया जायेगा।
3. (क) पटना में आयोजित होनेवाले व्यंजन मेला में आवेदक बिहार एवं अन्य राज्यों के मुख्य-मुख्य खाद्य सामग्री का ही स्टॉल लगायेंगे। स्टॉल प्रतिष्ठित ब्रांडेड संस्था/केटरर को आवंटन करने को प्राथमिकता दी जायेगी।
(ख) व्यंजन मेला में आवेदक/उद्यमी द्वारा बिहार के व्यंजनों तथा बिहार की मिठाईयाँ, नमकीन व्यंजनों का निर्माण स्टॉल में किया जायेगा। प्रत्येक स्टॉल में निर्माण किये जानेवाले व्यंजनों का प्रकार आवेदक/उद्यमी द्वारा बतलाया जायेगा, जिसकी लिखित सूचना निगम को दिया जाना है ताकि समय रहते निगम के ब्रैंडिंग के साथ खाद्य सामग्री का बैनर तैयार किया जा सके।

(ग) अलग—अलग स्टॉल में अलग—अलग व्यंजन बेचा जाना है जो निगम द्वारा तय किया जायेगा।

4. किसी भी परिस्थिति में Stale Food आवंटी द्वारा सर्व नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
5. कार्यस्थल यथावत् स्थिति में आवंटित किया जायेगा तथा वापसी के समय जिस स्थिति में उन्हें आवंटित किया गया है उसी स्थिति में वापस किया जाना है।
6. आवंटी को उच्चस्तरीय केटरिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इन्हें इससे संबंधित सभी प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। केटरिंग कार्य में दक्षता प्राप्त फर्म को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
7. व्यंजन मेला लगाने वाले फर्म का वार्षिक कारोबार कम से कम एक लाख रूपया होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण दाखिल करना आवश्यक होगा।
8. आवंटी आवंटित कार्यस्थल में किसी प्रकार के गैर कानूनी प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेंगे।
9. आवंटी द्वारा आवश्यक उपस्करों, फर्नीचरों, बर्टन, क्रॉकरी आदि की व्यवस्था अपने खर्च पर किया जायेगा।
10. आवंटी द्वारा साईनबोर्ड अथवा किसी प्रकार का प्रचार—पटल पर्यटन निगम के अनुमोदन के पश्चात् लगाना होगा। आवंटित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी जगह पर कब्जा नहीं किया जायेगा।
11. आवंटी आवंटित सम्पदा के आन्तरिक जल निकासी, पानी का पाईप, बिजली के तारों एवं अन्य सिवरेज की व्यवस्था अपने खर्च पर ठीक रखना सुनिश्चित करेंगे। कार्यस्थल एवं इसके आस—पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। प्रत्येक स्टॉल पर आवेदक द्वारा कम से कम दो बड़ा डस्टवीन रखा जायेगा। अपने दूकान के सामने के भाग को हमेशा स्वच्छ रखा जायेगा।
12. आवंटी द्वारा सभी प्रकार के सौन्दर्यीकरण एवं सामान्य रख—रखाव का कार्य अपने खर्च पर किया जायेगा।
13. प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को आवंटी द्वारा किये जा रहे कार्य, पकवान आदि के निरीक्षण का अधिकार होगा।
14. आवंटी द्वारा कार्यस्थल में सफाई, स्वच्छता आदि का ध्यान रखा जायेगा एवं आवंटी द्वारा आगन्तुकों की भावना के अनुरूप उच्च एवं उचित स्तर पर खाद्य—सामग्री इत्यादि सुविधा उचित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं आगन्तुकों से नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्विस की गुणवत्ता के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
15. आवंटी के द्वारा किसी प्रकार का संवैधानिक भुगतान नहीं करने के कारण डिफोल्टर होने पर निगम द्वारा उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा एवं भुगतान की राशि को जुर्माना सहित वसूल किया जायेगा एवं उनके द्वारा जमा किया गया अग्रधन जब्त कर लिया जायेगा।
16. आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात् यदि समयानुसार कार्य नहीं की जाती है तो आवंटी द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि स्वतः जब्त समझी जायेगी।

17. आवंटन प्रपत्र निर्गत होने अथवा आवेदन—पत्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि आवेदन Refuse करते हैं या कोई शर्त रखते हैं तो वह मान्य नहीं होगा और उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं अर्नेस्ट मनी की राशि एवं अन्य जमा सारी राशि जब्त समझी जायेगी।
18. खाद्य एवं श्रम कानून से संबंधित सभी नियमों एवं प्रावधानों का आवंटी पूर्णरूपेण पालन करेंगे। इस संदर्भ में सभी प्रकार की जवाबदेही आवंटी की होगी।
19. सुरक्षित राशि की वापसी बिना किसी सूद के यदि किसी सामग्री की क्षति पहुँचायी गयी हो तो क्षति के विरुद्ध समतुल्य राशि के समायोजन के पश्चात् लौटाई जायेगी।
20. आवंटित को ज्वलनशील पदार्थ के उपयोग के लिए अग्निशमन नियमों का पालन कड़ाई से करना होगा।
21. आवंटित को आवंटित क्षेत्र में जल जमाव एवं कीचड़ नहीं होने देना होगा। इसका पूरा—पूरा ध्यान रखा जायेगा। ऐसा करने पर इनकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
22. बिहार में नशाबंदी पूर्णरूपेण लागू है। अतः किसी भी तरह के नशीली पदार्थ का उपयोग क्रय, विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
23. सभी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच फुड इंस्पेक्टर द्वारा किया जायेगा।

ह० /—
अतिरिक्त महाप्रबंधक